न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 119 / 2016

उनवान

1. मोहनपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. बालपुरी पिता गोकुलपुरी गुसाई निवासी पटेलाई
3. जमनापुरी पिता हीरापुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा मृतक के कायम मुकाम :–
   3 / 1 महावीर पिता जमनापुरी गुसाई निवासी पटेलाई
4. जगदीशपुरी पिता हीरापुरी गुसाई निवासी पटेलाई
5. भागुतपुरी पिता फुरपुरी गुसाई निवासी पटेलाई मृतक के बजाय :–
   5 / 1 शम्भुपुरी पिता भागुतपुरी गुसाई निवासी पटेलाई
6. जोधुपुरी पिता देवपुरी गुसाई निवासी पटेलाई मृतक के बजाय:–
   6 / 1 राजुपुरी (2) रामचन्द्रपुरी (3)बद्रीपुरी (4) सुखपुरी गुसाइ पिता जोधपुरी गुसाई निवासियान पटेलाई तहसील बनेडा
7. कैलाशपुरी पिता देवपुरी गुसाई निवासी पटेलाई मृतक के बजाय:–
   7 / 1 श्यामपुरी,(2) लक्ष्मणपुरी, (3) रमेशपुरी, (4) चेतनपुरी, पिता कैलाशपुरी गुसाई निवासी पटेलाई
8. लादुपुरी पिता किशनपुरी गुसाई निवासी पटेलाई
9. कंकु पुत्री किशनपुरी गुसाई निवासी पटेलाई
10. कोयली पुत्री किशनपुरी गुसाई निवासी पटेलाई
11. शांति पुत्री किशनपुरी गुसाई निवासी पटेलाई
12. शांति पत्नि कैलाशपुरी गुसाई निवासी पटेलाई
13. प्रेममदेवी पत्नि प्रहलादराय शर्मा निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामलालपुरी पिता सेवापुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा
2. रतनपुरी पिता सेवापुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा
3. प्यारा पुरी पिता सेवापुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. कैलाशपुरी पिता सेवापुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा
5. दिनेशपुरी पिता सेवापुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा
6. शंकरपुरी पिता स्व0 देवीपुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा
7. आयरनपुरी पिता स्व0 देवीपुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा
8. राजुदेवी पत्नि स्व0 देवीपुरी गुसाई निवासी पटेलाई तहसील बनेडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण संख्या 113/2015 निर्णय दिनांक 10.5.2016

अभिभाषक : 1. श्री राजु डिडवानिया ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राकेश सुराणा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8

आदेश

दिनांक 23.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही खानदान के सदस्य हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त सामलाती कुए जो करीब 100 वर्ष से भी अधिक पुराने, मेवाड काल से भी पुराने हैं । जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पूर्वज चन्दनपुरी, केसरपुरी, सुरजपुरी के जीवन काल के चले आ रहे हैं और उक्त कुओं का प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। ग्राम सरदारनगर तहसील बनेडा के साबिक आराजी नम्बर 1650 रकबा 9 बिस्वा, भूमि पर कच्चा कुआ बना हुआ था और

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कुछ भू भाग पर कुए की खन्दोल थी। मेवाड के समय के बाद संयुक्त रूप से नये कुए का निर्माण किया गया । इस प्रकार उक्त आराजी में एक कच्च कुआ खान्दोल एवं पक्का कुआ बना हुआ है। जिसका प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने जीवनकाल में उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। तहसील बनेडा का सेटलमेण्ट हुआ । दौराने सेटलमेण्ट भूप्रबन्ध अधिकारियों ने साबिक आराजी नम्बर 1650 रामकुआ बडला वाला का नवीन नम्बर कायम किये गये। जो नवीन नम्बर 2440 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन खड्डा, आराजी नम्बर 2443 रकबा 2 बिस्वा गैर मु0 खान्दोल, एवं आराजी नम्बर 2441 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह कायम किये गये। दौराने सेटलमेण्ट आराजी नम्बर 2440 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन खड्डा एवं आराजी नम्बर 2443 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन खन्दोल, का एक खाता कायम किया गया तथा आता चाह नम्बर 2441 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह का अलग खाता कायम किया गया । उक्त कुए एवं खन्दोल एवं खड्डे का प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने पूर्वजां के जीवनकाल से उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं और संयुक्त शामलाती रूप से अपने अपने हक हिस्से अनुसार कुए से पानी निकालकर अपने हिस्से की आराजियात को सिंचित करते आ रहे है।

2. प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम सरदारनगर तहसील बनेडा में स्थित है जिनकी सिंचाई हाल आता चाह नम्बर 2441 से करते आ रहे हैं और उपयोग प्रार्थीगण अपने दादा–पडदादा के समय से ही करते आ रहे है। उक्त आता चाह के साबिक नम्बर 1650 थे जिसमें कि प्रार्थीगण के दादा–पडदादा का नाम भी चला आ रहा था। भू प्रबन्ध के कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक अधिकार के तथा सक्षम न्यायालय के बिना किसी आदेश के प्रार्थीगण के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दादा–पडदादा का नाम गलती से नहीं लिखा। जबकि उक्त आता चाह का संयुक्त रूप से उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं और कृषि भूमियो के सिचाई का एंकमात्र साधन उक्त चाह है। उक्त आता चाह में प्रार्थीगण अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी हैं। चूंकि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम भू प्रबन्ध की गलती से वर्तमान रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं है । ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि वे मूल वाद के निरस्तारण तक प्रार्थीगण को सिंचाई करने देवें एवं किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करे तथा किसी अन्य को विक्रय बय नहीं करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण/विपक्षीगण खातेदार काश्तकार दर्ज हैं एवं प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण विवादित आता चाह में खातेदार दर्ज रेकार्ड नहीं हैं। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई लेना–देना ही नहीं है । जबकि अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को जो कि राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण/विपक्षीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2015 (2) पेज 976, आर आर टी 2006 (2) पेज 1410, आर आर टी 2014 (2) पेज 1301, आर आर टी 2014 (81) पेज 523, आर आर टी 2013 ↕ 81) पेज 123, आर आर टी 2015 (1) पेज 633, आर आर टी 2009 (2) पेज 1398 एवं आर आर टी 2013 (2) पेज 823 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि अपीलाधीन मामले में अपीलार्थीगण/विपक्षीगण खातेदार काश्तकार दर्ज है जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/विपक्षीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति दी एवं अपने अधिवक्ता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया । प्रकरण वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र में था। अपीलार्थी/विपक्षीगण को जवाब प्रस्तुत करने का समय दिये बिना ही मिलाभगती कर कैम्प कोर्ट सरदार नगर ले जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहियेय था। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधिविरूद्ध होकर खारिज योग्य है।

7. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आता चाह आराजी नम्बर 2440 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन खड्डा, आराजी नम्बर 2443 रकबा 2 बिस्वा गैर मु0 खान्दोल, एवं आराजी नम्बर 2441 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है परन्तु साबिक आराजी नम्बर 1650 रकबा 9

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिस्वा आता चाह अपीलार्थीगण एवं विपक्षीगणों के पूर्वजों के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड था। भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान गलती से अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया है। जबकि उपयोग–उपभोग प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण अपने दादा–पडदादा के समय से ही संयुक्त रूप से करते आ रहे हैं। राजस्व रेकार्ड में सहवन से अपीलार्थीगण के नाम दर्ज हो जाने से प्रत्यर्थीगण के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। यदि अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जाता है तो वे वादग्रस्त आता चाह को विक्रय बय कर देंगे एवं प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को उसके उपयोग–उपभोग से वंचित कर देंगें । अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि वर्तमान में नवीन आराजी नम्बर 2440 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन खड्डा, आराजी नम्बर 2443 रकबा 2 बिस्वा गैर मु0 खान्दोल, एवं आराजी नम्बर 2441 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है । अपीलार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं इस तथ्य को उभयपक्ष स्वीकार करते हैं। साबिक आराजी नम्बर 1650 रकबा 9 बिस्वा आता चाह जमाबंदी महक्मा बन्दोबस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाडा में अपीलार्थीगण एंव विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक में दर्ज रेकार्ड है। उक्त साबिक आराजी नम्बर 1650 के दौराने सेटलमेण्ट आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2440 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन खड्डा एवं आराजी नम्बर 2443 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन खन्दोल, का एक खाता कायम किया गया तथा आता चाह नम्बर 2441 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन आता चाह का अलग खाता कायम किया गया । वर्तमान में नवीन वर्तमान में नवीन आराजी नम्बर 2440 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन खड्डा, आराजी नम्बर 2443 रकबा 2 बिस्वा गैर मु0 खान्दोल, एवं आराजी नम्बर 2441 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन आता अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है । अपीलार्थीगण ने जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं उसके अनुसार खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जा सकता है परन्तु उक्त अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण के हक में खातेदारी अधिकार भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गलती से दर्ज किये गये हैं जबकि भू प्रबन्ध से पूर्व उक्त आता चाह में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रत्यर्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। यदि ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञ पाबन्द नहीं किया जाता है एवं अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आता चाह से सिंचाई करने में प्रत्यर्थीगण को रोकते हैं अथवा वादग्रस्त आता चाह को विक्रय, बय बक्षीश कर देते हैं तो प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं वे अपीलाधीन मामले में लागू नहीं होते है। चूंकि उभयपक्ष के खातेदारी हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त होगा । अतः मूल वाद के निस्तारण तक अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय ने पाबन्द किया है वह उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
शीलवाड़ा

बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है।

9. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.5.2016 को यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 23.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

23/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा